उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-3

संख्या-113/2025/1610/23-3-2025-1880987

लखनऊ, दिनांक: 24 दिसम्बर, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

श्री राज्यपाल, कैलेण्डर वर्ष 2026 में लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित प्रमुख अभियन्ता (सिविल), मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल), अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) एवं अधीक्षण अभियन्ता (वि0/यां0) को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्तम्भ-5 में उल्लिखित तिथियों से 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	पिता का नाम (सर्वश्री)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्त तिथि
1	2	3	4	5
प्रमुख अभियन्ता				
1	विजय कनौजिया	राम स्वरूप कनौजिया	01.07.1966	30.06.2026
2	मुकेश चन्द शर्मा	मुरारी लाल शर्मा	15.11.1966	30.11.2026
मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (सिविल)				
1	अजय कुमार	गणेश प्रसाद	07.04.1966	30.04.2026
2	धर्मेन्द्र कुमार अहिरवार	प्रेम चन्द अहिरवार	01.07.1966	30.06.2026
3	संजय कुमार श्रीवास्तव	कमला कान्त श्रीवास्तव	01.07.1966	30.06.2026
4	चन्द्र प्रकाश	दशरथ राम	15.07.1966	31.07.2026
5	अखिलेश कुमार दिवाकर	शिव प्रसाद	15.08.1966	31.08.2026
6	राज नाथ गुप्ता	मेही लाल गुप्त	05.10.1966	31.10.2026
7	कन्हैया झा	देवेन्द्र कुमार झा	12.11.1966	30.11.2026
8	राकेश वर्मा	जे0पी0 वर्मा	14.11.1966	30.11.2026
9	सतीश चन्द्र	रोहन लाल	11.12.1966	31.12.2026
मुख्य अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) स्तर-2				
1	मनोहर सिंह यादव	गणेश सिंह यादव	01.07.1966	30.06.2026
अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)				
1	आदित्य कुमार	पुत्तु लाल वर्मा	15.03.1966	31.03.2026
2	विजेन्द्र कुमार चौधरी	भदई सिंह	02.06.1966	30.06.2026
3	सतीश चन्द्र वर्मा	बालक राम वर्मा	15.06.1966	30.06.2026
4	लाल जी	छोटे लाल	03.07.1966	31.07.2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

5	राज वीर सिंह	मकुन्दी लाल	20.12.1966	31.12.2026
6	भगवान दास	नेक्से राम	01.01.1967	31.12.2026
अधीक्षण अभियन्ता (विद्युत और यांत्रिक)				
1	सुबोध कुमार सिंह	श्याम वीर सिंह	10.03.1966	31.03.2026
2	मुराद अहसन	मो0 जमीर अहसन	01.01.1967	31.12.2026

2- यह आदेश सिविल सर्विसेज रेग्यूलेशन्स के अनुच्छेद-906(I) 912(ई) एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-सा-3-642/दस-93, दिनांक 24.04.1993 में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।

संख्या-113/2025/1610(1)/23-3-2025 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. लोक निर्माण सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)/प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0/उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 लखनऊ।
8. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in